174 29

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

53AA 669956

नकल सं० 353 [illegible] 2009

[illegible] 8/2009

[illegible] 10

[illegible] 12

[illegible] कर्ता-

पुष्टि कर्ता-

[illegible]

174

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs.20000 रु. INDIA NON JUDICIAL Rs.20000 रु.

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Advocate
Teh. Sardhana (Meerut)

. 1 .

ॐ

विक्रय पत्र

Advocate
Teh. Sardhana (Meerut)

- विक्रय मूल्य 12,73,143/– रूपये
- विक्रित भूमि किसी राजकीय, जनपदीय या लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है।
- विक्रित भूमि पर अन्य प्रयोजन की दर 1,00,00,000/– रूपये प्रति हैक्टेयर से अधिक दर पर स्टाम्प अदा किया जा रहा है।
- कुल देय स्टाम्प अकन 89,200/– रूपये.
- स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 (1) का सत्यता पूर्वक पालन किया गया है।
- पक्षकार भारत देश के मूल नागरिक हैं।
- विक्रेता प्रथम पक्ष के परिवार के पास विक्रय की गयी भूमि सहित समस्त उत्तर प्रदेश में 18 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है।
- क्रेता द्वितीय पक्ष के परिवार के पास क्रय की गयी भूमि सहित समस्त उत्तर प्रदेश में 12.1/2 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है।

Jinendra Kumar Jain
ADVOCATE
TEHSIL SARDHANA (MEERUT)

[redacted]

उप निबन्धक
सरधना

चिन्ह अंगुष्ठ ... के जो दिखने में भाद प्रतीत होते हैं ... लिये गये हैं।

उप निबन्धक
सरधना

12/8/13

फीस रजि. 500 ... शब्द लम्बाई

श्री चौ. ... पुत्र श्री ...
पेशा ...
निवासी ... मोह ...

उप निबन्धक
सरधना
7-1-09

लेखपत्र का विवरण सुन व समझकर व लेखपत्र का सम्पादन तथा उसमें लिखित पूर्ण मूल्य ... को जिसमें से रु 12/8/13 ... के समक्ष ... उक्त श्री ... ने स्वीकार किया ...

जिनकी पहचान श्री ...
पुत्र श्री ...
निवासी ...
व श्री ...
पुत्र श्री ...
निवासी ...

चिन्ह अंगुष्ठ ... जो दिखने में भाद प्रतीत होते ... लिये गये ... हस्ताक्षर ...

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

Rs.20000

INDIA NON JUDICIAL Rs.20000

...PRADESH

05 DEC 2006

38659

2

➢ विकित भूमि पट्टा ग्राम समाज, सीलिंग, भूदान, गर्वनमेन्ट ग्रान्ट एक्ट के अधीन दिये गये पटटे की भूमि नही है।

हम कि योगेन्द्र सिंह, विजेन्द्र सिंह, रविन्द्र सिंह, हरेन्द्र सिंह पुत्रगण श्री राजपाल सिंह निवासीगण ग्राम जाटौली, परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ विक्रेतागण/प्रथम पक्ष

एव

मै0 अंसल हाऊसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, 15-यू.जी.एफ., इन्द्रप्रकाश, 21-बारह खम्बा रोड, नई दिल्ली, द्वारा अधिकृत श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री सी0बी0 शर्मा निवासी गली नम्बर 2, शाद नगर, पालम कालोनी, नई दिल्ली क्रेता/द्वितीय पक्ष

इस लेख द्वारा प्रमाणित करते है कि संक्रमणीय भूमिधरी भूमि खाता संख्या ... के खसरा नम्बर 1609मि0, रकबा 0.1520 हे0 शून्य दशमलव एक पांच दो शून्य हैक्टेयर से अपना समस्त 1/3 एक बटा तीन भाग यानि भूमि

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000

[redacted]

UTTAR PRADESH ... 38660

3

0.0506,2/3 है0 शून्य दशमलव शून्य पांच शून्य छ: सही दो बटा तीन हैक्टेयर, लगान 2.50 रूपये सालाना स्थित ग्राम जाटौली, परगना दौराला तहसील सरधना जिला मेरठ के प्रथम पक्ष व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी तथा संक्रमणीय भूमिधर है तथा उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष विक्रेता की और से आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण एवं भार आदि से उऋण है तथा वैधानिक त्रुटियों एवं दोषो से मुक्त एवं रहित है और प्रथम पक्ष विक्रेता को अपनी उपरोक्त भूमि को विक्रय तथा हस्तान्तरित आदि करने के समस्त स्वामित्व एवं अधिकार प्राप्त हैं। कोई वैधानिक त्रुटि अथवा दोष प्रथम पक्ष के विक्रय अधिकारों मे बाधक नही है। प्रथम पक्ष ने उपरोक्त भूमि को किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था मे बन्धक नही किया है तथा वह सभी प्रकार के भारों से मुक्त है। उपरोक्त भूमि प्रथम पक्ष के संक्रमणीय अधिकारों की भूमि है तथा उसका कोई काश्तकार शिकमी या साझी, जैली व काबिज नहीं है तथा मौके पर प्रथम पक्ष की काश्त मौजूद है। उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में आज की तिथि तक की कोई कार्यवाही एक्यूजीशन या रिक्यूजीशन आदि की किसी न्यायालय अथवा कार्यालय में विचाराधीन नहीं है। उपरोक्त भूमि नगर

शुल्क
प्रतिलिपि

उत्त

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES 20000 रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 538661

भूमि सीमारोपण अधिनियम 1978 के प्राविधानों के अन्तर्गत किसी भी रूप में अतिरिक्त घोषित नहीं है और उसके सम्बन्ध में धारा 10 (3) व धारा 10 (5) का कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। उपरोक्त भूमि कृषि की भूमि है तथा समस्त राजस्व अभिलेखों में कृषि के रूप में अंकित है। उपरोक्त भूमि का मूल्य अंकन 12,73,143/- बारह लाख तिहत्तर हजार एक सौ तितालीस रूपये तय है जो अति उचित एवं वर्तमान बाजारी मूल्य के अनुकूल है। इससे अधिक मूल्य मिलने की वर्तमान समय में कोई आशा नहीं है। प्रथम पक्ष अन्य कृषि भूमि क्रय करना चाहते है, इसलिये इस भूमि को विक्रय कर देना उचित समझा गया है तथा विक्रय करने से सभी प्रकार से लाभ एवं भलाई दृष्टिगत है। अतः उपरोक्त वर्णित भूमि को उससे सम्बन्धित समस्त अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि सहित, बिना छोड़े हुए किसी स्वत्व एवं अधिकार के चाहे उनका वर्णन इस विक्रय विलेख में किया गया हो अथवा न किया गया हो, स्थिर मस्तिष्क एवं स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में अंकन 12,73,143/- बारह लाख तिहत्तर हजार एक सौ तितालीस रूपये कि आधे जिसके अंकन

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

UTTAR PRADESH

03 ... G 283386

. 5 .

6,36,511,50 रूपये होते हैं, विक्रय मूल्य के उपलक्ष्य में हस्ते मै0 अंसल हाऊसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0, 15–यू.जी.एफ., इन्द्रप्रकाश, 21–बारह खम्भा रोड, नई दिल्ली, द्वारा अधिकृत श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री सी0डी0 शर्मा निवासी निवासी गली नम्बर 2, शाद नगर, पालम कालोनी, नई दिल्ली को विक्रय कर दिया और समस्त विक्रय मूल्य रास्ते की सुविधा हेतु नकद घर पर प्रथम पक्ष विक्रेता ने द्वितीय पक्ष क्रेता से प्राप्त करके विक्रित भूमि को अपने अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकालकर क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि में देकर उनको व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी बना दिया। अब प्रथम पक्ष विक्रेता का कोई अधिकार या स्वत्व विक्रित भूमि से सम्बन्धित भविष्य के लिये शेष नहीं रहा और न होगा। वास्तविक परिवर्तन कार्यान्वित हुआ। यह विक्रय पूर्णतया उचित वैधानिक एवं मान्य है तथा प्रयोग होने योग्य है। कब्जा विक्रित भूमि का स्थल पर कतई खाली का द्वितीय पक्ष क्रेता को प्रदान कर दिया है तथा क्रेता ने विक्रित भूमि का वास्तविक एवं भौतिक अधिपत्य स्थल पर प्राप्त कर लिया है। क्रेता उपरोक्त भूमि को अपनी इच्छानुसार प्रयोग में ला सकेंगे। किसी को कोई

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH E 350729

01 ... 2004 सरधना (मेरठ)

. 6 .

आपत्ति न होगी। क्रेता अपना नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर स्वामी अंकित कराने के पूर्ण अधिकारी रहेंगे यदि इस हेतु प्रथम पक्ष विक्रेता की सहमति एवं रजामन्दी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी तो उसको प्रथम पक्ष विक्रेता समयानुसार पूर्ण रूप से पाबन्द रहेंगे। कोई आपत्ति न होगी। यदि आज की तिथि से पूर्व का कोई डयूज या लगान विक्रित भूमि पर बकाया पाया जायेगा तो उसको चुकता करने का भार हम विक्रेता के जिम्मे होगा और आज की तिथि के बाद समस्त डयूज एवं लगान को स्वयं क्रेता अदा करेंगे। कोई आपत्ति न होगी। अब विक्रेतागण का उक्त खसरा नम्बर में कोई अंश शेष नहीं रहा है। यदि अब अथवा भविष्य में विक्रित भूमि अथवा उसका कोई अंश क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकल जायेगा या विक्रित भूमि पर कोई ऋण या भार आदि पाया जायेगा तो ऐसी प्रत्येक वैधानिक दशा में क्रेता के विक्रय मूल्य अथवा उसका अंश जैसी स्थिति हो, मय हर्जा व खर्चा व भविष्य में लगाई लागत सहित वापिस चुकता करने का भार प्रथम पक्ष विक्रेता तथा उनके उत्तराधिकारी सहित उनकी चल व अचल सम्पत्ति

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु 1000 Rs.1000

प्रदेश UTTAR PRADESH

E 507?28

सरधना (मेरठ)

7

समस्त प्रकार पर रहेगा। कोई आपत्ति न होगी। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद हो और उचित समय पर काम आये। इति।

विक्रेता अनुसूचित जाति से नहीं है।

विक्रित भूमि कृषि भूमि है तथा समस्त राजस्व अभिलेखों में कृषि के रूप में दर्ज है और वर्तमान में कृषि हो रही है।

विक्रित भूमि में कोई बाग या पेड़ व बोरिंग आदि नहीं है।

विवरण प्राप्ति विक्रय मूल्यः

अंकन 3,18,288/- रूपये चैक नम्बर 141391 दिनांकित 22.11.2008

अंकन 3,18,288/- रूपये चैक नम्बर 141392 दिनांकित 22.11.2008

अंकन 3,18,287/- रूपये चैक नम्बर 141389 दिनांकित 22.11.2008

अंकन 3,18,287/- रूपये चैक नम्बर 141390 दिनांकित 22.11.2008

एक्सिस बैंक लि0 शाखा मेरठ

दिनांकः 5.12.2008 (पांच दिसम्बर सन दो हजार आठ ई0)

मसविदाः जिनेन्द्र कुमार जैन, एडवोकेट, सरधना जिला मेरठ

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

प्रदेश UTTAR PRADESH 350727

नजरी नक्शा (Not to be scaled)

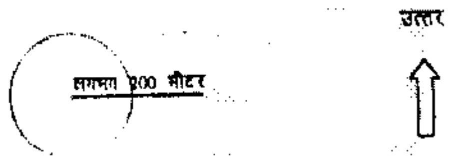

विकित भूमि की 200 मीटर की त्रिज्या में स्थित सम्पत्तियों का विवरण

1. राष्ट्रीय राजमार्ग / जनपदीय मार्ग / लिंक मार्ग / चकमार्ग —— X
2. बाग / नर्सरी —— X
3. आवासीय / वाणिज्यिक भूमि / भवन —— X
4. शैक्षिक संस्थान / धार्मिक संस्थान / स्वास्थ्य केन्द्र —— X
5. औद्योगिक संस्थान / गोदाम / फैक्ट्री —— X
6. गैस गोदाम / पेट्रोल पंप / नलकूप —— X
7. होटल / रेस्टोरेन्ट / मनोरंजन केन्द्र —— X
8. सरकारी / अर्द्धसरकारी / निगमित कार्यालय —— X
9. अन्य

घोषणा— किसी तथ्य को छिपाया नहीं गया है तथा गलत वर्णन अंकित नहीं किया गया है।
उपरोक्त सूचना क्षेत्र की सामान्य जानकारी पर आधारित है।

हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

03 DEC 2008 D 350798

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु [illegible]

प्रिन्ट्स

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता : योगेन्द्र सिंह पुत्र राजपाल सिंह नि० [illegible]

दायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता : विजेन्द्र सिंह पुत्र राजपाल सिंह नि० [illegible]

दायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिन्ट्स

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता :

बायें हाथ की अंगुलियों के चिह्न:

दायें हाथ की अंगुलियों के चिह्न:

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता :

बायें हाथ की अंगुलियों के चिह्न:

दायें हाथ की अंगुलियों के चिह्न:

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

देश UTTAR PRADESH U 126936

रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु [illegible]

प्रिन्ट्स

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता : राजेन्द्र [illegible] [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:

दायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता : ....

बायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:

दायें हाथ के अंगुलियों के चिह्न:

[illegible]

19 5-12-08 [illegible]

13 [illegible]

[illegible]

आज दिनांक 5/11/09
प्रति पुस्तक संख्या 4 खण्ड 2417
के पृष्ठ 359/364 पर क्रम संख्या 174
पर रजिस्ट्रीकृत किया गया

उप निबन्धक
[illegible]